

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड

अधिसूचना सं० 11/2018- केंद्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 02 फ़रवरी, 2018

सा.का.नि. (अ)- केन्द्रीय सरकार, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण में सा.का.नि. सं० 1601(अ), तारीख 29 दिसम्बर, 2017 द्वारा प्रकाशित, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 74/2017-केंद्रीय कर, तारीख 29 दिसम्बर, 2017 को, उन बातों के सिवाय विखंडित करती है जिन्हे ऐसे विखंडन से पूर्व किया गया था या करने का लोप किया गया था।

[फा.सं. 349/58/2017-जीएसटी(पी. टी.)]

(डा. श्रीपार्वती एस. एल.)
अवर सचिव, भारत सरकार